e-i- 'kklu] m|kfudh ,o [kk| ilLdj.k foHkkx

vxj ilLdj.k m|kxk d fodkl dh lHkkouk,

e/;in'k 'kklu dh vfHkuo igy

e-i- vxj ilLdj.k m|kx uhfr & 2006

ukMy ,tlh

,e ih LVV ,xk bUM-Moy i-dkik-fy-
rrh; ry] ipkuu Hkou] ekyoh; uxj] Hkkiky
njHkk"k 0755&2551652] 2551967 QDl 0755&2557305

7

मध्य प्रदेश शासन
उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ–6 / 10 / 2006 / 58 भोपाल, दिनांक 20 दिसम्बर, 2006

प्रति,

1. आयुक्त, सह संचालक,
उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी,
भोपाल

2. प्रबन्ध संचालक,
म.प्र.राज्य कृषि उद्योग विकास निगम,
भोपाल

विषय– म.प्र.अंगूर प्रसंस्करण उद्योग नीति, 2006 के संबंध में ।

राज्य शासन द्वारा प्रदेश मे रोजगार के नये अवसर विकसित करने, उद्यानिकी फसलों के मूल्य संवर्धन सुनिश्चित किये जाने को दृष्टिगत रखते हुए अंगूर पर आधारित प्रोसेसिंग उद्योग अर्थात वायनरी उद्योग के विकास के लिए " **म.प्र.अंगूर प्रसंस्करण उद्योग नीति, 2006**" निर्धारित की गयी है, जिसकी छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित है । आपसे अपेक्षा है कि इस नीति का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए तथा नीति में अन्तर्निहित प्रावधानो के अनुसार आवश्यक कार्यवाही संपादित की जाये ।

(जी.एस.खैरवार) 20/12/06
उप सचिव
म.प्र.शासन
उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग

पृ. क्रमांक एफ–6 / 10 / 2006 / 58 भोपाल, दिनांक 20 दिसम्बर, 2006

प्रतिलिपि –

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, म.प्र.शासन भोपाल ।
2. निज सचिव, मंत्री, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग भोपाल ।
3. स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, म.प्र.शासन भोपाल ।
4. कृषि उत्पादन आयुक्त, म.प्र.शासन भोपाल ।
5. प्रमुख सचिव / सचिव, म.प्र.शासन, वित्त विभाग / वाणिज्य एवं उद्योग विभाग / वाणिज्यिक कर विभाग / कृषि विभाग, भोपाल ।
6. आबकारी आयुक्त, म.प्र.ग्वालियर / आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इन्दौर / आयुक्त, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, म.प्र. / आयुक्त, जनसंपर्क, म.प्र.भोपाल ।
7. समस्त संभागीय आयुक्त, म.प्र. / समस्त कलेक्टर, म.प्र. ।
8. संचालक कृषि, म.प्र.भोपाल
9. समस्त सहायक संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, म.प्र ।

उप सचिव, 20/12/06
म.प्र.शासन
उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग

म.प्र.शासन
उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग
मंत्रालय भोपाल

अंगूर प्रसंस्करण उद्योग के विकास हेतु राज्य की नीति

प्रदेश के रतलाम जिले में अंगूर की खेती वैज्ञानिक तरीके से विगत कई वर्षों से की जा रही है, वर्तमान में लगभग 500 एकड़ रकबे में अंगूर उत्पादन हो रहा है तथा प्रदेश के अन्य जिलों मे भी अंगूर की खेती का विस्तार हो रहा है । प्रदेश में अंगूर उत्पादन के क्षेत्र विस्तार को दृष्टिगत रखते हुये, अंगूर प्रोसेसिंग के लिये विशेष प्रयासों की आवश्यकता है । इससे प्रदेश में रोजगार के नये अवसरों को विकसित करने के साथ ही उद्यानिकी फसलों के मूल्य संवर्धन गतिविधियों को बढावा मिलेगा तथा अंगूर उत्पादक कृषकों की औसत आय में वृद्धि एवं उनके सामाजिक/ आर्थिक जीवन स्तर में सुधार सुनिश्चित किया जा सकेगा । अंगूर पर आधारित प्रोसेसिंग उद्योग अर्थात वायनरी उद्योग के विकास के लिये आवश्यक अद्योसंरचना विकास के साथ ही प्रदेश के कृषकों को अंगूर जैसे पेरिशेबल (शीघ्र खराब होने वाले) उत्पाद के लिये सुनिश्चित बाजार/विपणन सुविधा सुनिश्चित कर कृषकों के आर्थिक स्तर में उन्नयन के लिए प्रदेश में अंगूर प्रसंस्करण उद्योगों के विकास हेतु राज्य शासन द्वारा यह नीति निर्धारित की गयी है ।

1. **नकारात्मक सूची में संशोधन –**

प्रदेश की उद्योग संवर्धन नीति –2004 में मदिरा/वाईन उद्योग को निगेटिव लिस्ट में रखा गया है प्रदेश में अंगूर उत्पादन एवं प्रसंस्करण विकास कार्यक्रम के माध्यम से कृषको के आर्थिक व सामाजिक स्तर में उन्नयन हेतु अंगूर से वाईन उत्पादन को निगेटिव लिस्ट से हटाया जायेगा एवं प्रदेश में स्थापित वाईनरी इकाईयों को भी प्रदेश की उद्योग संवर्धन नीति, 2004 के प्रावधानों का लाभ प्राप्त हो सकेगा । इस संदर्भ में वाणिज्यिक कर तथा वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जावेगी ।

2 **प्राथमिकता क्षेत्र की मान्यता–**

नाबार्ड एंव अन्य वित्तीय संस्थानों के माध्यम से वायनरी स्थापना कार्य के लिये आवश्यक लोन प्रदान करने की प्रकिया को प्राथमिकता के क्षेत्र में मान्यता प्रदान किये जाने हेतु संचालक संस्थागत वित्त विभाग द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

3. **एक्साइज ड्यूटी से छूट एवं स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन –**

प्रदेश में अंगूर प्रसंस्करण एवं इसके मूल्य संवर्धन को प्रोत्साहित करने के लिये अंगूर से वाइन उत्पादन पर एक्साइज ड्यूटी शून्य होगी । अंगूर उत्पादकों को तुलनात्मक रूप से अधिक मूल्य प्राप्त हो सके इसको सुनिश्चित करने के लिये यह छूट नीति की घोषणा के उपरान्त वाणिज्यिक कर /वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना की तिथि से 10 वर्ष की अवधि तक रहेगी ।

4. **वाईन विनिर्माण अनुमति की सरलीकृत प्रकिया—**

प्रदेश में विकसित हो रहे वाईन पार्क अथवा अन्य उपयुक्त स्थल पर वाईन प्रोडेक्ट उत्पादन लायसेंस, जिला स्तर पर कलेक्टर द्वारा जारी किये जायेगें तथा वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा नवीन एवं सरलीकृत प्रकिया/प्रारूप अनुसार आवेदन पत्र, निर्धारित वाईन विनिर्माण अनुमति लायसेंस फीस रू. 10,000/—प्राप्त होने, पर कलेक्टर द्वारा आवेदन प्राप्ति के 30 दिवस की अवधि में इस प्रकार के लायसेंस जारी किये जायेगे ।

5. **वाईन पार्क की स्थापना —**

प्रदेश में वाईन पार्क की स्थापना, भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण विभाग एवं प्रदेश के उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के वित्तीय प्रावधानो अनुसार की जायेगी । इस कार्य हेतु एम.पी.स्टेट एग्रो इण्ड. कार्पो. नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य करेगा तथा इसके संचालन/रखरखाव का पूर्ण कार्य एम.पी.स्टेट एग्रो इण्ड. कार्पो. द्वारा सम्पादित किया जायेगा ।

6. **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के रूप में मान्यता—**

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा जारी अधिसूचना की दिनांक से, वायनरी प्रोडेक्ट यूनिट को वे सभी सुविधायें/छूट उपलब्ध होंगी जो कि प्रदेश की उद्योग सवंर्धन नीति—2004 अनुसार अन्य फूड प्रोसेसिंग इण्डस्ट्रीज को प्राप्त होती है ।

7. **वायनरी उद्योग विकास हेतु स्थायी समिति—**

प्रदेश में वायनरी उद्योगों की स्थापना / विकास तथा अन्य संबंधित बिन्दुओं पर आवश्यक निर्णय लेने हेतु कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में निम्नानुसार समिति कार्य करेगी—

1.	कृषि उत्पादन आयुक्त	अध्यक्ष
2.	प्रमुख सचिव/सचिव (वाणिज्य एवं उद्योग)	सदस्य
3.	प्रमुख सचिव/सचिव (वाणिज्यिक कर)	सदस्य
4.	सचिव (उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण)	सदस्य सचिव
5.	प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य कृषि उद्योग निगम	सदस्य
6.	आबकारी आयुक्त	सदस्य
7.	वायनरी उद्योग प्रतिनिधि (एक)	सदस्य

म0प्र0 के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

20/12/06

(जे.एन.कांसोटिया)
सचिव,
म.प्र.शासन,
उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण
विभाग

m|kx lo/ku uhfr 2004 d iko/kkuk l ok;ujh m|kx dk udkjkRed lph l gVk;k tku ij miyC/k gku okyh lfo/kk,

- Ve yku ij C;kt vunku dh NV]
- fuo'k ij vunku]
- vulfpr tkfr@vulfpr tutkfr ,o efgyk m|fe;k dk fo'k"k NV dk iko/kku]
- exk iktDV dk Hkfe d fy; NV dk iko/kku]
- o;jgkmflx d fy; fj;k;rh njk ij Hkfe dh miyC/krk
- iktDV fjikV dh ykxr dh ifrifr
- iVV ikIr dju gr lgk;rk
- bUVhxVM vk|kfxd lg 0;olkf;d v/kkljpukvk d fodkl gr fj;k;rh njk ij Hkfe dk vkoVu
- jkT; d ckgj l d; fd; x; jk eVfj;y ¼df"k mRiknk½ ij e.Mh Qhl fujd
- LVEi M;Vh ,o ith;u e NV]
- futh {k= e vk|kfxd ikd dh LFkkiuk ij vunku lgk;rk
- vk|kfxd fuo'k ikRlkgu lgk;rk ¼okf.kT; dj ,o dUnh; fod; dj½
- io'k dj ij NV dk iko/kku
- dfIVo ikoj IykV d mi;kx ij fo|r M;Vh e NV

m|kx lo/ku uhfr 2004 d iko/kkuk vulkj vxj ilLdj.k

m|kx dk [kk| ilLdj.k m|kx d :i e ekU; fd; tku ij miyC/k gku okyh vfrfjDr lfo/kk,

1- ,Q ih vk] ,xekd] ch vk; ,l] o ;jk LV.MM t l x.koRrk iek.khdj.k ykxr dh ifrifr

2- vul/kku ,o fodkl dk;k d fy; vunku lgk;rk

3- y?k m|kx bdkb;k dk foi.ku lgk;rk

4- dPp eky d d; ij n; okf.kT; dj ij lV vkQ dh lfo/kk miyC/k

5- QM ikd ;fuVl dk ,xhdYpjy jk eVfj;y d; ij eMh Qhl e NV

6- QM ikd ;fuVl dk fj;k;rh njk ij Hkfe vkoVu